दिनांक: 06/03/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया हत्या का खुलासा, 01 हत्यारोपी गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.03.2023 को वादी श्री शुभम पुत्र स्व0 बिजेन्द्र कुमार निवासी म0न0-60 एस0बी0डी0 हास्पिटल थाना जनकपुरी सहारनपुर के द्वारा थाना कोतवाली देहात पर लिखित तहरीर देकर सूचित किया गया कि रामनगर मल्हीपुर रोड़ पर मेरे जीजा संजीव कुमार पुत्र जगदीश निवासी मवी खुर्द थाना सदर बाजार सहारनपुर अपने बहनोई से मिलने उनके मकान मल्हीपुर रोड़ पर गये थे मेरे जीजा के बहनोई मुकेश फौजी के मकान में ऊपर किराये पर रहते है। जब मेरे जीजा मिलकर उनके घर से नीचे आये और घर से बाहर निकले तो उनके बहनोई के मकान के नीचे हिस्से में किराये पर रहने वाले 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा मेरे जीजा संजीव उपरोक्त को गोली मार दी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0-73/2023 धारा 307 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घायल संजीव उपरोक्त की इलाज के दौरान दिनांक 04.03.2023 को पैनिसिया हास्पिटल देहरादून में मृत्यु हो गयी इसके उपरान्त दौराने विवेचना धारा 302 भादवि व 3 (2) v एससी/एसटी एक्ट बढोत्तरी की गयी। विवेचना से अभियुक्त 1.राजा पुत्र राकेश नि0 भगवानपुर थाना बडगांव जिला सहारनपुर 2. हर्ष पुत्र ओमपाल उर्फ पप्पू नि0 अम्बहेटा चाँद थाना बड़गाँव जिला सहारनपुर द्वारा संजीव की हत्या करना प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुऐ घटना के शीघ्र अनवारण हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में चैकिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में व प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल के कुशल नेतृत्व में संजीव कुमार की हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त हर्ष पुत्र ओमपाल उर्फ पप्पू नि0 अम्बेटा चाद थाना बड़गाँव जिला सहारनपुर को टपरी से घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्पलेण्डर UP-11-CJ-5043 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हर्ष ने पुछताछ पर बताया कि वह राजा उपरोक्त को बचपन से जानता है। साथ-2 पढ़े है तथा क्रिकेट भी खेलते है। दोनो आसपास के गाँव के रहने वाले है। राजा उपरोक्त अपने दोस्त सावन के साथ रामनगर मल्हीपुर रोड़ पर मुकेश फौजी के मकान में नीचे किराये पर रहता था दिनाँक 27.02.2023 को राजा ने मुझे फोन करके बुलाया था उस दिन मकान में ऊपर किराये पर रहने वाले का रिस्तेदार संजीव शाम के समय आया था राजा का व संजीव का सबरसैविल चलाने को लेकर झगड़ा हो गया था व गाली गलौज भी हुई थी। इसी बात को लेकर राजा अपने मन में ठान कर बैठा था कि मौका मिलते ही संजीव को खत्म कर देगा और दिनाँक 01.03.2023 की रात्रि में राजा और हर्ष ने उसी मकान में शराब पी और दिनाँक 02.03.2023 की सुबह भी शराब पीकर घर के बाहर मोटरसाइकिल पर बैठकर संजीव का इन्तजार कर रहे थे। जब संजीव आया तो हर्ष मोटरसाइकिल स्टार्ट कर खड़ा रहा तथा राजा ने संजीव को गोली मार दी और दोनो मोटरसाइकिल से भाग गये थे। अभियुक्त हर्ष उपरोक्त के विरुध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तथा अन्य अभियुक्त राजा उपरोक्त की तलाश जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. हर्ष उर्फ ओमपाल उर्फ पप्पू नि0 अम्बेटा चाद थाना बड़गाँव जिला सहारनपुर

बरामदगीः-

1. घटना में प्रयुक्त मो0सा0 स्पलेण्डर UP-11-CJ-5043

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2- उ0नि0 अतुल कुमार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

3- का0 1823 श्रवण कुमार कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

4- का0 2169 राहुल कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 06.03.2023

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा एक नफर जिला बदर अपराधी को गिरफ्तार किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में चलाये जा रहे जिला बदर अपराधियो के सत्यापन एवं गिरफ्तारी अभियान व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में दिनांक 05.03.2023 को उ0नि0 बलराम सिंह व हेका0 892 अजय राठी व का0 1259 विनीत तोमर द्वारा अभियुक्त नफीस उर्फ काला पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम महमूदपुर तिवाई उर्फ सैय्यद माजरा थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर को अभियुक्त को घर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय सहारनपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्तः -

(1) नफीस उर्फ काला पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम महमूदपुर तिवाई उर्फ सैय्यद माजरा थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः -

(1) उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

(2) हेका0 892 अजय राठी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

(3) का0 1259 विनीत तोमर थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 06/03/2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक जसबीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2023 धारा 379/411 भादवि मे प्रकाश में आये अभियुक्त मोनिश उर्फ सुभान पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला इलाहीबक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को एक पीले रंग की स्प्रे मशीन (खेतो में दवाई छिडकने वाली) व बिजली केबल के 3 टुकडे सहित नकुड गंगोह रोड पर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से आज दिनांक 06.03.2023 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनिश उर्फ सुभान पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला इलाहीबक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगीः-

एक पीले रंग की स्प्रे मशीन (खेतो में दवाई छिडकने वाली) व बिजली केबल के 3 टुकडे

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.व0उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह भडाना, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

2.हे.का.494 योगेश कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

3.का0 1059 अनुज राणा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 06.03.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी व चोरी की मोटरसाइकिलो का व्यापार करने वाले 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 02 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में चैकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन रोकथाम जुर्म जरायम शान्ति व्यवस्था व देखरेख व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस द्वारा दिनांक 05.03.23 को 02 अभियुक्तगण 1. टीनूराम पुत्र अभयराम नि0 ग्राम शम्भूगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2. निशान्त पुत्र धर्मेन्द्र नि0 ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभि0गण के कब्जे व निशांदेही से 3 मोटरसाइकिल 1. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग सिल्वर रजि0 HR71B4088, 2. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर रंग सिल्वर रजि0 UP11AT4339 व 3. 01 मोटरसाइकिल बजाज सीटी-100 बिना नम्बर बरामद की गयी तथा अभियुक्तगण टीनूराम व निशान्त ने अपने जुर्म का इकबाल किया तथा चोरी की तीन अन्य मोटरसाइकिल अपने साथी अरविन्द पुत्र स्व0 राजपाल नि0 ग्राम चन्देना कोली थाना देवबन्द जनपद सहानरपुर को बेचना बताया। जिसपर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा अभि0गण टीनूराम व निशान्त की निशांदेही पर अभियुक्त अरविन्द पुत्र स्व0 राजपाल नि0 ग्राम चन्देना कोली थाना देवबन्द जनपद सहानरपुर को थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे व निशांदेही से एक मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला रजि0 UP11P2426 तथा 02 मोटरसाइकिल के इन्जन 1. इन्जन नं0 HA10EJ तक सही अंक है तथा बाद के अंक DE9121438 कूटरचित हैं, 2. इन्जन नं0 HA10 AGJHBH0506 अंकित है बरामद किये गये। तथा अभि0गण द्वारा मोटरसाइकिलो पर धोखा देने की नियत से फर्जी नम्बर प्लेट लगाया जाना कबूल किया है। बरामदा चोरी की मोटरसाइकिल व इन्जन के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0स0 84/23 धारा 413/414/420/465 भादवि0 बनाम 1. टीनूराम पुत्र अभयराम नि0 ग्राम शम्भूगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2. निशान्त पुत्र धर्मेन्द्र नि0 ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 3. अरविन्द पुत्र स्व0 राजपाल नि0 ग्राम चन्देना कोली थाना देवबन्द जनपद सहानरपुर पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि0गण का नाम व पताः–

1. टीनूराम पुत्र अभयराम नि0 ग्राम शम्भूगढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. निशान्त पुत्र धर्मेन्द्र नि0 ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. अरविन्द पुत्र स्व0 राजपाल नि0 ग्राम चन्देना कोली थाना देवबन्द जनपद सहानरपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0 नं0 HR 71 B 4088 जिसका चेचिस नम्बर MBLHA10AMC9F17661 तथा इन्जन नं0- HA10EJC9F25498
2. 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर रजि0 नं0 UP 11 AT 4339 लगी नम्बर प्लेट को चैक किया गया तो श्री व्हिलर का रजिस्ट्रेशन निकला जिसका चेचिस नं0 MBLHA10BWGH066581 व इन्जन नं0 HA10EWGH000854
3. 01 मोटरसाइकिल बजाज सिटि 100 बिना नम्बर प्लेट जिसका चेचिस नं0 MDZB37AY6JWC32059 व इन्जन नं0 PFYWJC45336

4. 01 मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला जिस पर UP 11 P 2426 की नम्बर प्लेट लगी है जिसका इन्जन नं0 HA10EJCHK12382 व चैसिस नं0 MBLHA10AMCHK05785 है जिसको ई चालान एप पर चैक किया गया तो रजि0 नं0 UP 11 P 2426 पर स्पलैण्डर प्लस चैसिस नं0 05G16F05867 व इन्जन नं0 05G15E05458

5. 01 मोटरसाइकिल का इन्जन जिसका इन्जन नं0 HA10EJ तक सही अंक है तथा बाद के अंक DE9121438 कूटरचित हैं

6. 01 मोटरसाइकिल का इन्जन जिसका इन्जन नं0 HA10 AGJHBH0506 अंकित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. वश्री सुरेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर। 0नि0उ0
3. उ 0नि0श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. उनि देवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।0
5. हैसन्नी राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर। 559 0का0
6. हैनीरज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर। 569 0का0
7. हैसंदीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर। 558 0का0

प्रेस नोट दिनांक 06.03.2023

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित 01 छुरा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा निर्गत आदेशो-निर्देशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.03.23 को गश्त व चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त वाजिद पुत्र गुलजार निवासी मौहल्ला बंजारान निकट बिजलीघर कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को मय 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 छुरा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 85/23 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट बनाम वाजिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. वाजिद पुत्र गुलजार निवासी मौहल्ला बंजारान निकट बिजलीघर कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामद सम्पत्ति का विवरण:-

1. 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 01 छुरा बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ सहारनपुर
3. है0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना नकुड़ सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 06.03.2023

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद 01

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 25.02.2023 को मैगनेट मॉल के सामने लूट की घटना करने वाला एक अभियुक्त 1. उमर फारूख पुत्र रहीश नि0 मौ0 कलसिया रोड हसन कालोनी भूरे वाली मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर को मय लूटे गये 01 मोबाइल फोन XIAOMI 11I 5G BLACK के साथ आज दिनाकं 06.03.2023 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 46/23 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.उमर फारूख पुत्र रहीश नि0 मौ0 कलसिया रोड हसन कालोनी भूरे वाली मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर

बरामद सामान

1- एक अदद फोन XIAOMI 11I 5G BLACK

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

2. उप निरी0 श्री राकेश पंवार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0का0 50 विशाल, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
4. कां0 699 अशोक, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 06.03.2023

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जिला अस्पताल के कार्यालयो मे घुसकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तो को मय चोरी किये गये सामान के साथ किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 06.03.2023 को जिला अस्पताल के कार्यालयो मे घुसकर चोरी करने वाले दो अभियुक्तों 1. सिकन्दर पुत्र अफजाल निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र 25 वर्ष, 2. शाहरुख पुत्र मुखत्यार निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर उम्र 25 वर्ष को मय चोरी किये गये सामान के थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 45/23 धारा 380/411/454/457 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **सिकन्दर पुत्र अफजाल निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र 25 वर्ष।**
2. **शाहरुख पुत्र मुखत्यार निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी स0पुर उम्र 25 वर्ष।**

बरामद सामान

1. **एक स्टेबलाइजर BLUEBIRDDIGITAL VOLTAGE**
2. **एक बैट्रा बडा AMRON TUBLER**
3. **एक बैट्रा FORTUNER**
4. **दो बैट्रे INVERLIFE**
5. **एक बैट्रा MACRO POWER**
6. **एक इन्वर्टर MICROTECH**
7. **एक इन्वर्टर SUKOM 1600,**
8. **दो सिलिंग फैन**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:

1. उप निरी0 श्री मनाजिर हुसैन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. उप निरी0 श्री इन्द्रसैन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0कां0 587 प्रदीप, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
4. कां0 1646 दीपक, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांक: 06-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब बेचने वाले एक अभियुक्त को मय अवैध शराब के किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेश के अनक्रुम मे, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे अवैध शराब की तस्करी करने वाले अपराधियो के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अन्तर्गत थाना कुतबुशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.03.2023 को अभियुक्त ललित कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी टावर वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को नहर पटरी सडक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ललित उपरोक्त के पास से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गयी। अभि0 ललित उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0स0 62/23 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभि0 ललित उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम–पता गिरफ्तार अभियुक्त/

ललित कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी टावर वाली गली मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिँह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 मौ0 जहाँगीर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1913 राजन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 45 सुमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 06-03-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा0 3 शातिर चोर गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 03.03.2023 को वादिया श्रीमती पूनम पत्नि स्व0 संजय कुमार निवासी बसन्त विहार एक्सटेशंन के पास थाना सदर बाजार सहारनपुर बनाम अज्ञात द्वारा वादिया के घर से एक एलईडी, एक सैमसंग मोबाईल, 10 हजार रूपये व आधा तौला सोने की चैन व दो सोने की अंगूठी चोरी कर जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 111/23 धारा 457/380/411/34 भादवि0 पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुऐ घटना के अनवारण एव अभि0गण की गिरफ्तारी हेतू निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में दौराने चैकिंग क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैन्तुरा के कुशल नेत्तृव में उपरोक्त चोरी करने वाले अभियुक्तगण 1.सन्त कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी मवीकला, थाना सदर बाजार सहारनपुर, 2.सोनू पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर 3. अभिषेक पुत्र अरविन्द निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर को मुखबीर की सूचना पर काशींराम कालोनी के पास से गिरफ्तार किय़ा गया। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त का नाम पताः-

1.सन्त कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी मवीकला, थाना सदर बाजार सहारनपुर
2.सोनू पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
3.अभिषेक पुत्र अरविन्द निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

1.एक एलईडी हायर कम्पनी की
2.एक मोबाईल सैमसंग ए 23

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री सुनील नागर थाना सदर बाजार ,स0पुर ।

2. है0का0 574 अश्विनी थाना सदर बाजार ,स0पुर ।

3. का0 1808 आशीष कुमार थाना सदर बाजार ,स0पुर ।

4. का0 215 सुमित थाना सदर बाजार ,स0पुर ।

5. का0 2241 अनिल थाना सदर बाजार ,स0पुर ।

प्रेस नोट दिनांक - 06.03.2023

आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत अनाधिकृत शराब विक्रेताओ के विरूद्ध सहारनपुर पुलिस का "रेड अलर्ट"

आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत जनपद पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत शराब विक्रेताओ के विरूद्ध विशेष सतर्कता बरती जा रही है व अवैध शराब की तस्करी/ब्रिक्री पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है:-

1. सहारनपुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर शराब तस्करों व माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। इस दौरान जनपद में भारी मात्रा में अन्य प्रदेशो से तस्करी कर लायी जा रही अवैध शराब पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा बरामद की गयी है।
2. दिनांक 03.03.2023 से एक अभियान के तहत पूर्व में अवैध शराब की तस्करी में जेल गये व संदिग्ध शराब तस्करों को चिन्हित कर अभियान चलाकर उनका सत्यापन किया गया जिसमें 42 लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा 30,000/- रूपये कीमत की अवैध शराब बरामद की गयी। यह अभियान 10.03.2023 तक प्रचलित रहेगा।
3. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आबकारी विभाग के साथ मीटिंग कर योजनाबद्ध तरीके से अवैध शराब की बिक्री पर पूर्णरूप से रोक लगाने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारियो/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
4. राजपत्रित अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर शराब की दुकानो की चेकिंग की जा रही है एवं होटल/ढाबो को भी चेक किया जा रहा।
5. जनपद में अनाधिकृत रूप से शराब बेचने वालों पर सर्तक दृष्टि रखी जा रही है।

नोटः- दिनांक 08.03.2023 को शराब की दुकाने पूर्णतः बन्द रहेंगी। यदि कोई भी व्यक्ति होली के दिन अनाधिकृत रूप से शराब बेचता है तो 112 नम्बर पर सूचना दें या नजदीकी पुलिस को सूचित करें।

प्रेस नोट दिनांक - 06.03.2023

"होली" व "शब-ए-बारात" के दृष्टिगत सुरक्षा को लेकर सहारनपुर पुलिस तैयार

आगामी होली त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद पुलिस द्वारा सुरक्षा के चाक चौबन्ध प्रबन्ध किये गये है । इस सम्बन्ध में अधिकारीगणो द्वारा निर्देशित किया जा रहा है तथा थाना/तहसील/ब्लाक स्तर पर जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने हेतु पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है । जनपद स्तर व थाना स्तर पर दंगा नियन्त्रण स्कीम का रिहर्सल किया जा रहा है तथा संवेदशील स्थानों को चिन्हित कर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है ।

1. इस वर्ष होलिका दहन दिनांक 07.03.2023 को एवं होली का उत्सव दिनांक 08.03.2023 को तथा 07/08.03.2023 को शब-ए-बरात के पर्वो पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अन्य आकस्मिक व्यवस्था कराये जाने हेतु कलेक्ट्रेट सहारनपुर परिसर में स्थित कोविड कन्ट्रोल रूम में कन्ट्रोल रूम न0 **(0132-2723971)** स्थापित की गयी है ।
2. जनपद में जनमानस मे सुरक्षा की भावना जागृत करने हेतु पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किये जा रहे है । तथा वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है ।
3. महिलाओ की सुरक्षा को लेकर जनपद में भीड़-भाड़ वाले स्थानों/बाजारों में महिला पुलिस के दस्ते बनाकर उन्हे डियूटी पर तैनात किया गया है तथा पैदल गश्त किया जा रहा है ।
4. जनपद में आबकारी विभाग के साथ सामंजस्य व मीटिंग करके योजनाबद्ध तरीके से अवैध रूप से शराब की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी दृष्टी रखी जा रही है तथा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । वाहनों की चैंकिग की जा रही है । तथा अवैध रूप से शराब की बिक्री/तस्करी के सम्बन्ध में जनपद में 42 लोगों को जेल भेजा गया है । तथा जनपद की सीमाओं पर लगातार चैकिंग व निगरानी की जा रही है । जिससे अन्य प्रदेशों तस्करी कर शराब का आयात न किया जा सके ।
5. जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृड व दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार बिना हेलमेट/बिना नम्बर प्लेट तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चैकिंग की जा रही है । तथा वाहनो के साथ स्टंट करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है ।
6. जनपद में संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी की जा रही है । तथा 321 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराये गये है तथा अन्य संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सीसीटीवी लगाने की कार्यवाही की जा रही है । तथा ड्रोन कैमरों से भी जनपद की निगरानी की जा रही है ।
7. जनपद में सेक्टर व जोन स्कीम लागू की गयी है तथा जनपद को 99 सेक्टरो में विभाजित किया गया है तथा 20 क्यूआरटी तैनात की गयी है । जनपद में 03 पीएसी कम्पनी व 01 आरआरएफ कम्पनी संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गयी है ।
8. जनपद में अतिरिक्त वज्र वाहन तैयार कराये गये है तथा उन्हे संवेदनशील स्थानों/क्षेत्रों में तैनात किया गया है ।